

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक:-

सं०सं०-05 / स्था०-(D.T.O.)-30 / 2013(खंड-I) / सामान्य प्रशासन
विभाग की अधिसूचना सं०-12418, दिनांक-10.07.2026 एवं अधिसूचना सं०-12429, दिनांक-
12.07.2026 द्वारा परिवहन विभाग अन्तर्गत विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों में जिला परिवहन
पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन किया गया है जो निम्नवत् है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम (श्री/सुश्री/ श्रीमति) कोटि क्रमांक, गृह जिला	पदस्थापन कार्यालय
1	सोनी कुमारी, 777 / 26, कटिहार	जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ।
2	कोमल किरण, 751 / 26, नालंदा	जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज।
3	अमित राज, 850 / 26, नालंदा	जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।
4	डेजी रानी, 859 / 26, सहरसा	जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार।
5	वीरेन्द्र कुमार, 320 / 26, शेखपुरा	जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद।
6	निशांत कुमार 693 / 26, समस्तीपुर	जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी।
7	प्रवीण कुमार 243 / 26, नालंदा	जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर।
8	प्रशांत रमानिया, 839 / 26, गया	जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर।
7	आलोक चन्द्र चौधरी, 794 / 26, भागलपुर	जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली।
10	प्रियंका सिन्हा, 736 / 26, नालंदा	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
11	रंजीत कुमार, 770 / 26, रोहतास	जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा।
12	निकिता कुमारी, 891 / 26, जहानाबाद	जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल।
13	ललित राही, 701 / 26, मधेपुरा	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर।

उपर्युक्त पदस्थापित पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1)
तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए जिला

परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(इन्दु कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

निबंधित/ई-मेल

ज्ञापांक:-सं0सं0-05/स्था0-(DIO)-30/2013(खंड-1) 6/25 /पटना, दिनांक 24-02-2026

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, गया, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं सारण/जिला पदाधिकारी, बक्सर, नवादा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, कटिहार, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पूर्णियाँ, मधेपुरा, प0 चम्पारण, वैशाली, अरवल, किशनगंज एवं औरंगाबाद/संयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना, गया, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं सारण/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर, नवादा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, कटिहार, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पूर्णियाँ, प0 चम्पारण, वैशाली, अरवल, किशनगंज एवं औरंगाबाद/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/संबंधित जिला के मोटरयान निरीक्षक/संबंधित जिला के प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।